न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 01/2020

1. दलीप सिंह पुत्र हजारी सिंह जाति भाटी (राजपुत) उम्र 47 वर्ष निवासी फेफाना, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

आवेदक

बनाम्

1. बेगराज पुत्र काशीराम जाति जाट उम्र 52 वर्ष निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर ।
3. सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना।
4. व्यवस्थापक, आदर्श ग्राम फेफाना सहकारी सेवा समिति, फेफाना।

अनावेदक

निगरानी विरूद्ध निर्णय अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा अपील सं0 20/2019 निर्णय दिनांक 18.10.2019

उपस्थितिः— श्री महेश सिंह राठौड़ अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता, अप्रार्थी
श्री हवासिंह पुनियां अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 08.03.2022

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :—

1. अनावेदक स0 1 द्वारा अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर में दिनांक 13.08.2019 को एक अपील अनावेदक सं0 1 द्वारा विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता दलीप सिंह के विरूद्ध की गई थी जिसमें अनावेदक सं. 1 बेगराज ने कथन किया था की बेगराज गांव फेफाना की आबादी क्षेत्र की भूमि में एक पटटा शुदा 30 गुणा 60 फुट क्षेत्र का भुखंड है, जिसके उत्तर में सड़क आम, दक्षिण में मकान जयपाल सिंह, पूर्व में प्लाट मातुराम व पश्चिम में प्लाट दलीप सिंह होने का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

कथन किया था। दिनांक 22.12.1990 को बेगराज के पक्ष में 30 गुणा 60 फुट का पटटा जारी किया गया एवं आज तक वहा उस जगह पर काबिज होने का कथन किया गया था। दिनांक 09.08.2019 को बेगराज उस जगह पर निर्माण करने लगा तो दलीप सिंह ने निर्माण करने देने से मना कर दिया और कहा कि मैने उक्त जगह का पटटा बनावा रखा है। बेगराज द्वारा ग्राम पंचायत फेफाना से नकल दिनांक 13.08.2019 को प्राप्त होने का कथन किया और उस पटटे की आड़ में दलीप सिंह द्वारा बेगराज को बेदखल करने पर आमादा है, का कथन किया। दिनांक 13.08.2019 को पटटा की नकल की जानकारी होने पर धारा 5 मियाद अधिनियम हेतु पृथक से आवेदन पत्र के साथ की गई जिसमें पनरीक्षणकर्ता का पटटा खारिज करने हेतु अपील की गयी थी।

2. पंचायत समिति नोहर के समक्ष दर्ज अपील संख्या 20/2019 में अध्यक्ष पंचायत समिति स्थापना एवं स्थाई समिति द्वारा यह फैसला करना था कि बेगराज के पक्ष में जारी पटटा 9/25 दिनांक 22.12.1999 जो की नियम 167 (1) प.रा.अधि. 1996 के अन्तर्गत जारी किया गया है एवं पुनरीक्षणकर्ता दलीप सिंह का पटटा 08/2008 दिनांक 22.12.2008 जो कि नियम 157 प.रा.अधि. 1996 के अन्तर्गत पुराने भवनों के विनियमितिकरण का पटटा है, में से कानूनी नियमों की पालना में वैध रूप से जारी पटटा किसका है। अनावेदक सं. 1 द्वारा प्रस्तुत अपील में पारित निर्णय में प्रकिया एवं कानून कायदों एवं धारा मर्यादा अधिनियम एवं अनुच्छेद को कतई नजर अंदाज करके ताक पर रख कर अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा बेगराज एवं तत्कालीन सरपंच कांता बिजारनिया से जनवरी 2020 में होने वाले पंचायत चुनाव के मध्यनजर अपना स्वार्थ सिद्धा एवं वोट बटोरने हेतु गलत निर्णय पारित किया गया, जो अपास्तनीय है।

3. अपील संख्या 20/2019 में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2019 को अपास्त करने हेतु निम्नलिखित आधार है:–

क. सर्वप्रथम अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर ने बेगराज के अपील में वर्णित कथनों की सत्यता का कतई अवलोकन नहीं किया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

बेगराज की अपील में पटटे का आसापासा गलत दर्ज किया गया है जो कि मात्र येन केन प्रकरण अपील को रंग देने के लिए दर्ज किया गया है।

ख. अनावेदन सं. 1 बेगराज का पटटा राज. पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 167(1) के अन्तर्गत जारी किये जाने का हवाला दिया गया है जिसमें बेगराज को उक्त 30 गुणा 60 फुट पटटा बातचीत द्वारा विक्रय किया गया दर्शाया गया है एवं पटटा 200 वर्ग गज का जारी किया दर्शाया गया है, जो की 1000 रूपये मात्र की प्रतिफल में विक्रय किया गया है। गौरतलब है कि नियम 167 पंचायत राज. अधिनियम 1996 के अन्तर्गत कोई पटटा नियम 153 (नीलामी द्वारा विफल होने पर), नियम 154 (उंची बोली की पुष्टि होने पर), नियम 166 के अन्तर्गत अपील यदि कोई हो, निपटा दिए जाने के बाद ही पंचायत की और से निष्पादित किया जावेंगा, जिस पर सरपंच एवं सचिव के नियम 167 (2) हस्ताक्षर किये जाएगें, जो की साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत एक मैनेडेटरी प्रोविजन है। जबकि बेगराज के पटटे पर सचिव के हस्ताक्षर नही है। सचिव द्वारा कोई भी भूमि क्रय हेतु आवेदन करने पर आवश्यक रूप से नक्शा तैयार किया जाएगा। बेगराज को कथित रूप से जारी फर्जी पटटे 9/25 दिनांक 22.12.1999 में ऐसा ना तो कोई तैयार नक्शे पर सचिव के हस्ताक्षर है। बेगराज का पटटा नियमों की अनदेखी कर फर्जी रूप से जारी किया गया था जो कि कानूनन अवैध व शुन्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। फेफाना में बेगराज का स्वयं का मकान है एवं उक्त कथित पटटे के लगे हुए या सटटे हुए बेगराज का कोई मकान या दुकान भी नहीं है। एक तरफ आवेदक दलीप सिह के स्वयं के नाम से भूखण्ड है, दूसरी तरफ जयलाल का मकान है, तीसरी और विजय सिंह तथा एक और अमर सिंह का मकान है। इस सूरत में ग्राम पंचायत द्वारा नियम 167 (1) के अन्तर्गत बातचीत द्वारा पटटा जारी करना ही अवैध है।

ग. बेगराज (अनावेदक स. 1) उक्त वर्णित जगह पर कभी काबिज ही नहीं रहा है। पुनरीक्षणकर्ता दलीप सिंह के पड़ौसी अमर सिंह पुत्र मातराम छिम्पा के भूखण्ड का पटटा सं. 11 ग्राम पंचायत फेफाना के संकल्प संख्या 4 दिनांक 07.04.1999 को जारी किया गया था जो कि बेगराज के पटटे से करीब 8 महिने पहले जारी किया गया था। अमरसिंह पुत्र मातराम के पटटे के आसा पासा में पश्चिम दिशा में हजारी सिंह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

दर्शाया गया है जो कि पनरीक्षणकर्ता के पिता है। उक्त जगह के माप 30 गुणा 49 फुट है जो की हमेशा से ही पुनरीक्षणकर्ता के पिता के कब्जे एवं स्वामित्व में है। प्रार्थी के पिता ने दलीप सिंह को बाहमी बंटवारे में कब्जाशुद्वा इस भूखण्ड को दिया था तब से लेकर आज तक यह भूखण्ड दलिप सिंह के कब्जे, स्वामित्व, उपयोग व उपभोग में है।

घ. अपील सं. 20/2019 में पंचायत समिति नोहर द्वारा विवादित स्थल का भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया बल्कि फर्जी तरीके से कार्यालय में बैठकर, अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थायी समिति, पं.स. नोहर द्वारा कुटरचित तैयार करवाया गया है तथा पंचायत समिति ने मौके के आस पास के घरों एवं निवासियों से गवाहों की जरूरत नहीं समझी न ही इस प्रकार की कोई प्रकिया निष्पादित की गई है।

ड. अपील सं. 20/2019 मर्यादा अधिनियम के अन्तर्गत मियाद बाहर है, जो कि पटटा बनाने के 20 वर्ष बाद दर्ज की गयी थी एवं काबिल खारिज है।

च. प्रार्थी द्वारा आदर्श ग्राम फेफाना सहकारी समिति से अपने पक्ष में जारी पटटे पर ऋण लिया हुआ है, ऋण जारी किये जाने से पहले उक्त समिति ने प्रार्थी के पक्ष में जारी पटटे का वैध टाईटल होने के संबंध में पूर्ण रूप से पड़ताल की थी एवं उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा होने की शर्त पुख्ता होने के बावजूद ही ऋण दिया गया। दलिप सिंह का पटटा 08 दिनांक 22.09.2008 अभी भी आदर्श ग्राम फेफाना सहकारी समिति फेफाना के अभिलेख पर एवं रहन है।

छ. अपीलांट द्वारा कतई झूठी अपील दर्ज करवायी गयी जिसमें गलत रूप से दलीप सिंह के पटटे का माप (30 गुणा 99 फुट) को पटटा होना भी बदनीयत से गलत दर्ज कर दिया। बेगराज ने तत्कालीन सरपंच से मिलिभगत करके फर्जी पटटा बनाया था। पुनरीक्षणकर्ता और उसका परिवार पिछले 82 से अधिक वर्षो से उक्त भूखण्ड 30 गुणा 49 फुट के जगह पर काबिज है। इसी कब्जे के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 ने इसी 30 गुणा 49 फुट जगह का पुराने घरों का विनियमितिकरण का पटटा वर्ष 2008 में बनवाया था। पंचायत के संकल्प संख्या 1 दिनांक 22.12.2008 को रूपये 200 की जमा रसीद दिनांक 06.01.2008 को जमा हो जाने के पश्चात ही मिसल संख्या 46 दिनांक 22.09.2008 द्वारा पटटा संख्या 08 पुराने घरों के विनियमितिकरण बाबत ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पंचायत फेफाना ने पूर्ण रूप से पारदर्शी प्रकिया अपनाते हुए जारी किया। तत्कालीन ग्राम पंचायत फेफाना का संकल्प पत्र एवं मिसल कायम करना स्वयं पुनरीक्षणकर्ता के सही एव सचे होने का प्रमाण है। वर्ष 2019 में ग्राम पंचायत के बिना प्रमाण के प्रकरण में मात्र उपस्थित होने और कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा बेगराज के पटटे को साबित बिलकुल नहीं किया गया है। मात्र कयास के आधार पर प.स. नोहर को पुनरीक्षण कर्ता के वैध रूप से जारी किये गए उक्त पटटे को खारिज करने का अधिकार नहीं है।

ज. दलीप सिंह के पिता हजारी सिंह के नाम से सन 1995 में जारी एक पटटा भूखण्ड है। जिसके आसा पासा में दक्षिण में 30 गुणा 45 फुट दर्शाया है, शेष दक्षिण दिशा में 30 गुणा 45 फुट में जयपाल स्थित है, जो कि वर्ष 1995 में अराजीराज जगह थी। दलीप सिंह के पूर्व में भी अराजीराज जगह दर्शायी गयी है जो कि दलीपसिंह के पिता हजारीसिंह के कब्जे में थी, पश्चिम में अन्य व्यक्ति दर्शाया गया है।

पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी बेगराज के पक्ष में पारित निर्णय खारिज किया जावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बेगराज के पक्ष में जारी पटटा 9/25 दिनांक 22.12.1999 जो की नियम 167 (1) प.रा.अधि. 1996 के अन्तर्गत जारी किया गया है एवं पुनरीक्षणकर्ता दलीप सिंह का पटटा 08/2008 दिनांक 22.12.2008 जो कि नियम 157 प.रा.अधि. 1996 के अन्तर्गत पुराने भवनों के विनियमितिकरण का पटटा है। प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति, नोहर द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है। नियम 167(1) राज. पंचायत राज अधिनियम 1996:– 145 के अधीन नक्शा अर्थात आसापासा बनाया जाना एवं सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर होना? बेगराज को उक्त 30 गुणा 60 फुट पटटा बातचीत द्वारा विक्रय जो की 1000 रूपये मात्र प्रतिफल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बोहर (हनुमानगढ़)

में विक्रय किया गया है। पटटे पर सरपंच एवं सचिव के नियम 167 (2) के अनुसार हस्ताक्षर किये जायेंगे जबकि बेगराज के पटटे पर सचिव के हस्ताक्षर ही नही है। नियम 167 सहपठित 156 नियम 166, 156 एवं 144 पंचायत राज नियम 1996 के अन्तर्गत प्राइवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का विक्रय नियम 156 पंचायत राज नियम 1996 के अन्तर्गत निम्न तरीके से ही किया जा सकता है अन्यथा नही–1. निलामी से जहां उचित किमत प्राप्त नहीं हो सकती 2. अतिचार या अन्य लेखबद्व कारण जो कि पंचायत समझती हो की भूमि का निर्वहन सुविधाजनक नहीं होगा 3. नियम 144 के उप नियम 1 व 2 के अनुसार भूमि की कोई पटटी हो और एक ही आवेदक हों। पंचायत नियम 144 में निवासीय प्रयोजन के लिए 100 वर्ग गज तथा वाणिज्यक प्रयोजन के लिए 200 वर्गफुट तक की भूमि बाजार मूल्य पर आवंटन कर सकेगी। नियम 144 (2) के अनुसार ऐसी भूमि पटटी उन ही व्यक्तियों को आवंटित की जा सकेगी जिनकी विदयमान मकान या दुकान ऐसी पटटी से लगे हुए है। नियम 144(3) के अनुसार ऐसी भूमि पटटी एक से अधिक मकानों या दुकानों से लगी होने के मामले में उन्हें निलाम किया जाएगा। बेगराज को जारी पटटा 9/25 में ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त सभी नियमों की अवहेलना की गई है। दलीप सिंह का पटटा नियम 157 राज पंचायत राज अधिनियम 1996 के अधीन पटटा है। उक्त पटटा दलीप सिंह को उसके कब्जा के आधार पर ही पंचायत के संकल्प संख्या 1 दिनांक 22.12.2008 रूपया 260 की जमा रसीद संख्या 52 जमा हो जाने के बाद ही विधिवत पटटा जारी किया गया है। पंचायत समिति नोहर की अपील सं. 20/2019 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत सुनवाई हेतु मियाद बाहर है, जो की पटटा बनाने के 20 वर्ष बाद दर्ज की गई है, काबिल खारिजी के है। प्रार्थी द्वारा आदर्श ग्राम फेफाना सहाकारी समिति से अपने पक्ष में जारी पटटे पर ऋण लिया हुआ है। निगरानी स्वीकार फरमावें।

अधीवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की अप्रार्थी ने पंचायत समिति में दलीप सिंह का पटटा खारिज करवाने के लिए अपील पेश की थी। अपीलांट न्यायालय ने अपील स्वीकार कर दलीप सिंह के पक्ष में दिनांक 22.12.2008 को जारी पटटा 30 गुणा 49 फुट को खारिज कर दिया था। अप्रार्थी का पटटा 22.12.1999 को जारी शुद्वा है। अप्रार्थी के पटटे की जगह पर ही दिनांक 22.12.2008 को दलीप सिंह ने 30 गुणा 49

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

फुट का पटटा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 के तहत जारी करवा लिया। सरपंच ने भी अप्रार्थी के पटटे को सही माना है। अप्रार्थी का स्वयं का पटटे शुद्वा भूखण्ड पर कब्जा है। निगरानीकर्ता को विनियमितिकरण का पटटा गलत जारी किया गया है जो की निरस्त योग्य है। निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के 1 वर्ष बाद पेश की गई है अतः समय बाधित होने के कारण भी निगरानी खारिज योग्य है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित पटटे से संबंधित पत्रावली एवं दस्तावेजात की जांच पड़ताल एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट समुचित रूप से तैयार नहीं की गई है।

अतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.10.2019 अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है की पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर देते हुए तथा पक्षकारान की मौजुदगी में मौका निरीक्षण कर एवं विवादित पटटा दिनांक 22.12.2008 से संबंधित समस्त मूल रिकार्ड का अवलोकन एवं जांच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों। निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 08.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/3/2022

(भागीरथ शाख आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)